रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2488] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2014/अग्रहायण 17, 1936

No. 2488] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2014

का.आ.3085(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् त.वि.क्षेत्र अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित हैं और त.वि.क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए थे ;

और, त.वि.क्षेत्र अधिसूचना के पैरा 4(ii)(क) के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) में असूचीबद्ध क्रियाकलापों की पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी अपेक्षित होगी ;

और, यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे गतिविधियों की मंजूरी की शक्तियां या तो राज्य सरकार या प्रादेशिक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी जाएं ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का परित्याग कर दिया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त.वि.क्षेत्र अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

त.वि.क्षेत्र अधिसूचना में,--

(1) पैरा 4 के उपपैरा (i) में,--

(क) खंड (द) में "ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार" शब्दों और अंकों के पश्चात् "अनुमोदन के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (र) में "क्षरण नियंत्रण उपाय" शब्दों के पश्चात् "और नमक संकर्म" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) पैरा 4 के उपपैरा (ii) में,--

(क) "पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध सीजेडएमए द्वारा की गई सिफारिशों के पश्चात् निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(अ) वे गतिविधियां जो ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रवर्ग 'क' के अधीन सूचीबद्ध हैं और उक्त अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय हैं";

(3) पैरा 4.2 के उपपैरा (ii) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(स) एसईआईएए, पैरा 4(i) के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए (सिवाय मद (घ) के साथ जहां भवन परियोजना से संबंधित है, जिसका विनिर्माण क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर से कम है) और परियोजना ईआईए अधिसूचना 2006 के अंतर्गत नहीं आती है"

(4) पैरा 8(i)I(ii)(ब) में, "जेट्टी" शब्द के पश्चात् "क्षरण नियंत्रण उपाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 12-3/2008-आईए.III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण- (1) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November , 2014

S.O. 3085 (E).-Whereas by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the CRZ notification), coastal stretches are declared as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions have been imposed on industries, operations and processes in the CRZ area;

And whereas under para 4 (ii) (a) of the CRZ notification, the activities not listed in the notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification, 2006) require clearance from the Ministry of Environment and Forests.

And whereas it has become necessary to delegate the powers of clearing such activities either to the State Government or to the regional authorities;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the CRZ notification, namely:-

In the CRZ notification,-

(1) in paragraph 4,in sub-paragraph (i)

(a) in clause (d), after the words "shall be considered", the words "for approval" shall be inserted;

(b) in clause (f), after the words 'erosion control measures', the words "and salt works" shall be inserted;

(2) In sub-paragraph (ii) of paragraph 4,-

(a) after the words, "the following activities shall require clearance from MoEF, the words "after being recommended by the concerned CZMA" shall be inserted;

(b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) "those activities listed under category 'A' in the EIA notification 2006 and permissible under the said notification";

(3) In paragraph 4.2, in sub-paragraph (ii), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely;-

" (c) SEIAA, for the projects specified under paragraph 4(i) (except with respect to item (d) thereof relating to building projects with less than 20,000 sq. mts of built-up area) and for the projects not attracting EIA notification, 2006"

(4) In paragraph 8 (i)I (ii)(b), after the word 'jetties', the words "erosion control measures" shall be inserted.

[No. 12-3/2008-IA.III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* numbers S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.